सं. 13034/23/2016-रा.भा.(प्रशा.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग

*****

एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1,
दिनांकः 21.06.2016

कार्यालय आदेश

विषय : केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान / केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो / केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग / क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति ।

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के द्वारा पूर्व में जारी किए गए कार्यालय आदेश संख्या 14034/23/2009-रा.भा.(प्रशि), दिनांक 15.02.2012 एवं 13034/03/2014-रा.भा.(प्र/ब.), दिनांक 05.03.2014 का अवक्रमण करते हुए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों व केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के लिए सुविचारित नई स्थानांतरण नीति बनाई जाती है। इस स्थानांतरण नीति के निम्नलिखित प्रावधान होंगे :-

(क) सामान्यतया स्थानांतरण कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा ।

(ख) अधिकारियों/कर्मियों का कार्य-निष्पादन (Performance), स्थानांतरण करने का आधार माना जाएगा । उत्कृष्ट निष्पादन करने पर यथासंभव मनचाहे स्थान पर तैनाती देने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। असंतोषजनक निष्पादन की स्थिति में अनिवार्यत: 'कठिन' जगह में स्थानांतरण किया जाएगा।

(ग) ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र अथवा दक्षिण क्षेत्र के लिए ही हुई है, का स्थानांतरण, नए अधिकारी की नियुक्ति होने के बाद अथवा कम से कम 07 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने के बाद ही किया जाएगा । अन्य स्थानों के लिए भी यह अवधि 07 वर्ष ही रहेगी । पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर यथासंभव, कार्य-आवश्यकता को देखते हुए उनके ऐच्छिक स्थान पर किया जाएगा । ऐसे प्रस्ताव/अनुरोध जिसमें अधिकारी अपने पुराने कार्यस्थल पर स्थानांतरण निवेदन कर रहा हो, को उनके पुराने स्थान से कार्यमुक्त करने की तिथि से 03 वर्ष से पहले, उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(घ) ऐसे कार्मिक, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही सेवा करना चाहते हैं, को यथासंभव अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(ङ) ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान पूर्वोत्तर या दक्षिण क्षेत्र में सेवा नहीं की है उनकी पदोन्नति होने पर उन्हें इन क्षेत्रों में पदस्थापित किया जाएगा ; बशर्ते उनकी अधिवर्षिता की सेवा 02 साल से कम न हो । यदि वे नए पदस्थापन में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति अस्वीकार की है तथा नियमानुसार वे पदोन्नति से डिबार (तदर्थ प्रोन्नति के मामले में एक वर्ष एवं नियमित प्रोन्नति में तीन वर्ष) हो जाएंगे ।

(च) यदि पति एवं पत्नी दोनों भारत सरकार के कार्मिक हैं, तो दोनों को एक स्टेशन (कार्यस्थल) पर तैनाती देने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा ।

(छ) इन कार्मिकों के स्थानांतरण सामान्यतया सत्र अप्रैल से जुलाई माह तक किए जाएंगे ताकि उनके बच्चों की पढाई एवं प्रशिक्षण कार्य में विशेष व्यवधान न आए ।

(ज) किसी कार्मिक की पदोन्नति होने पर उसे अन्य जगह में अनिवार्यत- पदस्थापित किया जाएगा बशर्ते उनकी अधिवर्षिता की सेवा 02 साल से कम न हो । यदि नए पदस्थापन में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो प्रोन्नति नहीं मिलेगी एवं डिबार (तदर्थ प्रोन्नति के मामले में एक वर्ष एवं नियमित प्रोन्नति में तीन वर्ष) हो जाएगें ।

(झ) कार्य की आवश्यकता के अनुसार या विशेष परिस्थिति में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मुख्यालय में किया जा सकेगा । किन्तु इसके लिए निदेशक/विभागाध्यक्ष को स्थानांतरण का औचित्य फाइल में रिकार्ड करना होगा ।

(ञ) मानवीय आधार पर स्थानांतरण जैसे पति-पत्नी की एक ही स्टेशन पर तैनाती, चिकित्सा आधार पर तैनाती, विकलांग कार्मिकों तथा ऐसे कार्मिकों जिनके बच्चे मानसिक रोगी हैं, जैसे मामलों पर सहानुभूति पूर्वक यथासंभव विचार किया जाएगा तथा इन कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा ।

(ट) ऐसे कार्मिक जो प्रतिनियुक्ति पर अन्य कार्यालयों में गए हुए हैं, उनके प्रत्यावर्तन के समय जिन कार्यस्थलों पर रिक्ति होगी, उन्हें उन कार्यस्थलों पर ही तैनात किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किए गए कार्यस्थल पर प्रत्यावर्तित होने के बाद दोबारा तैनात करना उनका अधिकार नहीं होगा ।

(ठ) सरकारी कार्यहित में किसी भी कार्मिक का पद सहित स्थानांतरण किसी भी केंद्र या मुख्यालय में किया जा सकता है ।

(ड) इन कार्मिकों का स्थानांतरण एक समिति की अनुशंसा पर सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा (ब्यौरा पैरा 3 के अनुसार) ।

2. समूह 'ग', एम.टी.एस. एवं अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों का संवर्ग क्षेत्रीय होने के कारण, उनका स्थानांतरण उसी क्षेत्र में उपर्युक्त नीति के अनुसार होगा ।

3. **राजभाषा विभाग एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु गठित स्थानांतरण समितियों का विवरण निम्न प्रकार है -**

(1) राजभाषा विभाग (सेवा संवर्ग)

<u>राजपत्रित अधिकारियों हेतु-</u>

1.	संयुक्त सचिव (रा.भा.)	अध्यक्ष
2.	निदेशक (सेवा)	सदस्य सचिव
3.	राजभाषा विभाग का कोई अन्य निदेशक/उप सचिव	सदस्य

<u>अराजपत्रित कार्मिकों हेतु -</u>

1.	निदेशक (सेवा)	अध्यक्ष
2.	राजभाषा विभाग का कोई अन्य निदेशक/उप सचिव	सदस्य
3.	अवर सचिव (सेवा)	सदस्य-सचिव

उपरोक्त समितियों की सिफ़ारिश पर राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सचिव (रा.भा.) तथा अराजपत्रित कार्मिकों के लिए संयुक्त सचिव (रा.भा) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(2) राजभाषा विभाग (कार्यान्वयन)

<u>राजपत्रित अधिकारियों हेतु -</u>

1.	निदेशक (कार्यान्वयन)	अध्यक्ष
2.	राजभाषा विभाग का कोई अन्य निदेशक/उप सचिव	सदस्य
3.	अवर सचिव (कार्यान्वयन)	सदस्य - सचिव

<u>अराजपत्रित कार्मिकों हेतु -</u>

1.	अवर सचिव (कार्यान्वयन)	अध्यक्ष
2.	राजभाषा विभाग का कोई अन्य अवर सचिव	सदस्य
3.	अनुभाग अधिकारी (कार्या.)	सदस्य सचिव

उपरोक्त समितियों की सिफ़ारिश पर राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सचिव (रा.भा.) तथा अराजपत्रित कार्मिकों के लिए संयुक्त सचिव (रा.भा) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

3. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो -

1.	संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो	सदस्य
3.	उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
4.	प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति की सिफ़ारिश पर निदेशक व संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सचिव (रा.भा.), उप निदेशक व सहायक निदेशक के अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव व अन्य मामलों में निदेशक (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

4. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

1.	संयुक्त निदेशक केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक (मध्योत्तर) हिन्दी शिक्षण योजना	सदस्य
3.	उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
4.	उप निदेशक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो	सदस्य
5.	प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य-सचिव

उपरोक्त समिति की सिफ़ारिश पर निदेशक व संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सचिव (रा.भा.), उप निदेशक व सहायक निदेशक के अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव व अन्य मामलों में निदेशक (केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

हरिन्द्र 21/5/2018

(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान
2. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो
3. अवर सचिव (कार्यान्वयन-1)
4. अवर सचिव (सेवा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी (राजभाषा विभाग)
4. राजभाषा विभाग के सभी निदेशक / उप सचिव